>

Title: Need to make the examinations conducted by UPSC transparent.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा में निरन्तर हो रही अनियमितता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, गत वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 23 मई 2010 को हुआ, जिसका परिणाम 19 अगस्त 2010 को घोषित किया गया। इस परीक्षा में अपनी सफलता के लिए पूरी तरह आश्वस्त कुछ अभ्यर्थियों ने जब सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अपने अंक जानने चाहे तो आयोग ने उत्तर दिया कि क्योंकि इससे सम्बन्धित वाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, अतः आयोग यह जानकारी नहीं दे सकता।

महोदय, अनियमितता का यह क्रम वर्ष 2006 से चला आ रहा है, तब भी आयोग ने अभ्यर्थियों को अंक बताने से इन्कार कर दिया था। अभ्यर्थी केन्द्रीय सूचना आयोग में गए, सूचना आयोग ने अभ्यर्थियों की माँग को वैध माना तथा संघ लोक सेवा आयोग को 15 दिन के अन्दर अंक तथा मॉडल उत्तर प्रारूप देने का निर्देश दिया। इसके विरूद्ध संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 अप्रैल 2007 को आयोग की अपील खारिज करते हुए अंक तथा मॉडल उत्तर प्रारूप दने का आदेश दिया।

महोदय, लेकिन आयोग नहीं माना तथा क्रमशः उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच तथा यहाँ भी हारने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। वर्ष 2008 से वर्ष 2010 तक आयोग के किसी वकील ने बहस नहीं की तथा तारीख पर तारीख डलती रहीं। अंततः 18 नवम्बर 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया तथा आयोग की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल बैंच के निर्णय को प्रभावी माना। लेकिन, यह मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। वर्ष 2010 के अभ्यर्थियों ने इसी विषय में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वर्ष 2006 का वाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी, जिसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः माननीय न्यायालयों द्वारा पहले किये गये निर्णयों को उचित ठहराया। विडम्बना यह है कि न्याय के खिलाफ इस कानूनी लड़ाई में लोक सेवा आयोग ने जनता की गाढ़ी कमाई के 105 करोड़ रूपये से भी अधिक खर्च कर दिये।

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाये, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाये तथा संघ लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाये।

सभापति महोदय : मैंने आपके इस जीरो ऑवर को बहुत ध्यान से सुना क्योंकि एक डैलीगेशन मुझसे भी मिलने आया था और उसने ये सारी बातें कही थीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : जी, महोदय।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, वह डैलीगेशन हमसे भी मिला था।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मसला है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : उसने जंतर मंतर पर धरना भी दिया था।

सभापति महोदय : इसका मतलब है कि साक्षात प्रमाण है कि गड़बड़ हुई है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल है और इसकी जांच कराई जाए, सब प्रमाण हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : उसने जंतर मंतर पर धरना भी दिया था।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, यह सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है। इसमें भी सब गड़बड़ होती है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, यह सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा है और उसमें भी गड़बड़ हुई है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मैं आपका पूरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

डॉ. राजन सुशान्त : महोदय, इस पर सरकार की ओर से कुछ जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, आ गया। इसका एक और तरीका है कि आप इसे किसी दूसरे माध्यम से भी सदन में लाइये, जब स्पीकर महोदया स्वयं बैठी हों।

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

प्रो. रामशंकर,

श्री वीरेन्द्र कश्यप,

श्री विष्णु पद राय और

श्री वीरेन्द्र कुमार को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।